

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर: 302005

क्रमांक:- प 7(3)(1) पंचा/रानिआ/13/ 9926

दिनांक:- 28/12/14

जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत)
(कलेक्टर) समस्त

विषय:-पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दौरान विडियोग्राफी करवाना।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गये हैं। इसी प्रकार अभ्यर्थियों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा वाहनों, लाउडस्पीकरों, पोस्टरों, बैनरों पर प्रतिबन्ध भी आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 24.12.14 द्वारा लागू किये हैं। अतः इन चुनावों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों एवं उक्त प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने, प्रचार करने, मतदान दिवस की गतिविधियों, मतपेटियों के परिवहन, संग्रहण, एवं अन्य चुनाव सामग्री के संग्रहण, वोटिंग मशीनों की तैयारी व सुरक्षित अभिरक्षा, मतगणना एवं परिणामों की घोषणा आदि समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सारगर्भित जानकारी संकलित करने के लिए विडियोग्राफी आवश्यक है, जिसके लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्त ऐसी समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं सभाओं एवं गतिविधियों की विडियोग्राफी करवाएगा।
2. रिटर्निंग अधिकारी विडियोग्राफी का कार्यक्रम बनाते समय, मतदाताओं की संख्या, भौगोलिक स्थिति, बूथ कैपचरिंग/झगडा/दंगा इत्यादि का पूर्व इतिहास, कानून व्यवस्था की स्थिति, अभ्यर्थियों का आचरण व चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित अपराध इत्यादि का ध्यान रखेंगे।
3. अपने उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी विडियोग्राफी के लिए वांछित दलों की संख्या का निर्धारण करेंगे। इस हेतु यद्यपि कोई संख्या निर्धारित नहीं की जा रही है लेकिन अपेक्षा की जाती है कि अनावश्यक भार/खर्च नहीं बढ़ाया जाए।
4. इस हेतु किसी विडियोग्राफर की सेवाएं किराए पर लेते समय यह देख लिया जाए कि वह तकनीकी, वित्तीय मापदण्डों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, साथ ही यह भी जाँच लिया जाए कि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध या उसका समर्थक नहीं हो, न ही उसका कोई अभिन्न मित्र या रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा हो और न ही उसकी सेवाएं किसी राजनैतिक दल द्वारा अधिग्रहित की गई हों।
5. ऐसा विडियोग्राफर किसी भी सूरत में राजनैतिक दलों/कार्यकर्ताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
6. विडियोग्राफर चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।
7. जब जब एवं जहां-जहां आवश्यकता हो विडियोग्राफर आबजर्वर के साथ भी उनके निर्देशन में कार्य करेगा।
8. विडियोग्राफर को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि उसे केवल संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण घटनाओं, जिनका चुनाव पर असर पड़ सकता हो, की ही विडियोग्राफी करनी है न की कैसेट/सीडी को भरना मात्र है। इस हेतु निम्न दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
9. इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तैयार करने की प्रक्रिया।
10. स्ट्रॉंग रूम के सील करने व मतगणना के समय उसे खोलने की प्रक्रिया।

28/12

11. मतदान दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों की विडियोग्राफी के लिए स्वविवेक से अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।

मुख्यतः निम्नांकित घटनाओं की विडियोग्राफी की जानी है :-

1. चुनाव सभाएं जिन्हें मंत्री/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नेताओं द्वारा सम्बोधित किया जाए।
 2. दंगा/उपद्रव/पत्थरबाजी/आगजनी इत्यादि की घटनाएं।
 3. हिंसक घटना/सम्पत्ति को नुकसान/लूटपाट/हथियारो का दिखाना इत्यादि
 4. बूथ कैपचरिंग
 5. मतदाताओं को धमकाना/डराना
 6. मतदाताओं को कम्बल/साड़ीया इत्यादि बांट कर लुभाना
 7. मतदान केन्द्र के सौ मीटर के अन्दर मत याचना
 8. बड़े-बड़े 'कट आउट'/होर्डिंग, बैनर इत्यादि लगाकर खर्च का भद्दा प्रदर्शन
12. जिस अधिकारी के निर्देशन में विडियोग्राफी की जा रही है, वह इसकी गोपनीयता व सुरक्षा का ध्यान रखेगा। तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिकार्डिंग के साथ छेड़छाड़ न हो और न ही इस तक अनाधिकृत व्यक्तियों की पहुंच हो।
13. रिटर्निंग अधिकारी ऐसी समस्त रिकार्डिंग का तुरन्त अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभाओं/गतिविधियों के आयोजकों/नेताओं/वक्ताओं/संभागीयों द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव नियमों या आदर्श आचार संहिता या आयोग द्वारा अपनी दिनांक 24.12.14 की अधिसूचना के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है।
14. ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें रिटर्निंग अधिकारी स्वयं सक्षम है, तुरन्त कार्यवाही करेगा।
15. ऐसी कैसेट/सीडी जिन पर उपरोक्त आदेशानुसार रिकार्डिंग की गई है, के अवलोकन एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। अतः आयोग इस विषय में समान मापदण्ड अपनाते हुए निम्न प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
16. ऐसे समस्त कैसेट/सीडी जो इन आदेशों की पालना में तैयार किए जाएंगे, चुनाव के अभिलेख का अंश माने जाएंगे और इन्हें पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ तब तक संग्रहित रखा जाएगा जब तक कि इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जैसी कि अन्य अभिलेखों के बारे में निर्धारित है के अनुसार नष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे समस्त अभिलेख, अन्य चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों की भांति ही सम्बन्धित जिला चुनाव अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। ऐसे समस्त कैसेट/सीडी की रिकार्डिंग की दिनांक व स्थान तथा की गई घटना का संक्षिप्त विवरण दर्शित करते हुये रिकार्ड में रखा जायेगा।
17. **निरीक्षण:-** कैसेट/सीडी के निरीक्षण लिखित प्रार्थना-पत्र पर किया जा सकेगा। ऐसे आवेदक को कैसेट/सीडी का अवलोकन 25/-प्रति घंटा या उसके हिस्से के लिए, के शुल्क पर कराया जाएगा लेकिन अति आवश्यक निरीक्षण के लिए यही शुल्क 50/-रूपये होगा। साधारण निरीक्षण आवेदन की दिनांक के पश्चातवर्ती दिवस या बाद के किसी दिन करवाया जाएगा परन्तु "अत्यावश्यक निरीक्षण" की स्थिति में उसी दिन निरीक्षण करवाया जाएगा।
18. **सत्यापित प्रतिलिपि:-** (क) आवेदक को कैसेट/सीडी की प्रमाणित प्रति 25/-रूपये के आवेदन शुल्क एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यय, लेकर दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक को निरीक्षण करने एवं प्रति प्राप्त करने के अपने अधिकार को साबित करना होगा

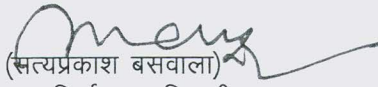

28/12/14

एवं यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि आवेदक का उस कैसेट/सीडी में किस प्रकार से समुचित हित निहित है।

(ख) सरकारी उपयोग हेतु निरीक्षण या प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। कैसेट/सीडी की रिकार्डिंग से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ या नुकसान नहीं हो, इस के लिए प्रभावी सर्तकता रखी जाएगी एवं कैसेट/सीडी का एकाधिक व्यक्तियों द्वारा सामुहिक निरीक्षण भी वर्जित रहेगा।

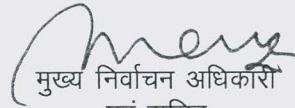
19. किसी कैसेट/सीडी की विषय वस्तु के बारे में किसी प्रकार की प्रमाणिकता या सत्यापन नहीं दिया जाएगा बल्कि "जैसी है, जहां है" के आधार पर उपलब्ध करवायी जाएगी।
20. समस्त रिटर्निंग अधिकारियों के भी ध्यान में उपरोक्त निर्देश लाये जावें।

भवदीय,


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 28/12/14

क्रमांक:- प 7(3)(1) पंचा/रानिआ/13/9927-28
प्रतिलिपि:-

1. वित्तीय सलाहकार, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. कम्प्यूटर शाखा को आदेश को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
28/12/14